रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2455] नई दिल्ली, मंगलवार, नवम्बर 17, 2015/कार्तिक 26, 1937
No. 2455] NEW DELHI, TUESDAY, NOVEMBER 17, 2015/KARTIKA 26, 1937

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 2015

का.आ. 3107(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 नवम्बर, 2015 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से खादी और ग्रामोद्योग आयोग, (केवीआईसी) भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर एक सांविधिक निकाय पर उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के प्रावधान लागू होंगे तथा दिनांक 2 मई, 1986 की सा.का. नि.सं. 730 (अ) के तहत प्रकाशित कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) में भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, नामतः

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं. 207 के पश्चात तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतर्वेशित की जाएंगी, नामत :-

क्रम सं.	निगम या सोसायटी या अन्य प्राधिकरण का नाम	स्थिति
1.	2.	3.
"208	खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन सांविधिक निकाय

[फा. सं. पी.-13030/1/2012-एटी]

देवेश चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 2 मई, 1986 की सा.का. नि.सं. 730 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात निम्नलिखित अधिसूचना संख्याओं के तहत इसमें संशोधन किया गया, नामतः

सा.का.नि. 1172(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 1986
सा.का.नि. 84(अ), दिनांक 6 फरवरी, 1987
सा.का.नि. 409(अ), दिनांक 20 अप्रैल, 1987
सा.का.नि. 542(अ), दिनांक 11 जुलाई, 1995
सा.का.नि. 748(अ), दिनांक 17 दिसम्बर, 1998
सा.का.नि. 8 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 2002
सा.का.नि. 499(अ), दिनांक 23 अगस्त, 2006
का.आ. 1228(अ), दिनांक 25 जुलाई, 2007
का.आ. 1823(अ), दिनांक 25 अक्तूबर, 2007
का.आ. 906(अ), दिनांक 22 अप्रैल, 2008
का.आ. 2580(अ), दिनांक 31 अक्तूबर, 2008
का.आ. 2824(अ), दिनांक 1 दिसम्बर, 2008
का.आ. 727(अ), दिनांक 31 मार्च, 2010
का.आ. 2411(अ), दिनांक 4 अक्तूबर, 2010
का.आ. 958(अ), दिनांक 12 अप्रैल, 2013
का.आ. 2617(अ), दिनांक 27 अगस्त, 2013
का.आ. 1258(अ), दिनांक 9 मई, 2014

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(Department of Personnel and Training)
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th November, 2015

S.O. 3107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 17th November, 2015 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of Section 14 of the said Act shall apply to the Khadi and Village Industries Commission (KVIC), being a Statutory body within the territory of India and makes the following amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) published vide number G.S.R.730(E), dated 2nd May, 1986, namely:—

In the Schedule to the said notification, after serial number 207 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:—

S.No.	Name of the Corporation or Society or Other Authority	Status
1.	2.	3.
"208.	Khadi and Village Industries Commission (KVIC)	Statutory body under the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises

[F. No. P-13030/1/2012-AT]

DEVESH CHATURVEDI, Jt. Secy.

Note:- The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 730 (E), dated the 2nd May, 1986 and subsequently amended *vide* following notifications numbers, namely:—

G.S.R. 1172(E), dated the 31st October, 1986
G.S.R. 84(E), dated the 6th February, 1987
G.S.R. 409(E), dated the 20th April, 1987
G.S.R. 542(E), dated the 11th July, 1995
G.S.R. 748(E), dated the 17th December, 1998
G.S.R. 8(E), dated the 4th January, 2002
G.S.R. 499(E), dated the 23rd August, 2006
S.O. 1228(E), dated the 25th July, 2007
S.O. 1823(E), dated the 25th October, 2007
S.O. 906(E), dated the 22nd April, 2008
S.O. 2580(E), dated the 31st October, 2008
S.O. 2824(E), dated the 1st December, 2008
S.O. 727(E), dated the 31st March, 2010
S.O. 2411(E), dated the 4th October, 2010
S.O. 958(E), dated the 12th April, 2013
S.O. 2617(E), dated the 27th August, 2013
S.O. 1258(E), dated the 9th May, 2014

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.